न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 103 / 2018

1. राधाकिशन पिता नारायण दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. मांगीलाल पिता मोहन लाल दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
3. सोहन पिता जगन्नाथ दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
4. ईश्वर सिंह पिता कानसिंह दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
5. बालु सिंह पिता कानसिंह दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
6. कैलाशीदेवी पुत्री कान सिंह दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
7. जसु पिता जगन्नाथ दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
8. नानी पिता जगन्नाथ दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
9. शान्ति पुत्री जगन्नाथ दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
10. दिलीप सिंह पिता गोपी दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
11. मखनसिंह पिता गोपी दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
12. मांगी पत्नि रामचन्द्र दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
13. उदा पिता श्रीराम दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा
14. लक्ष्मी पत्नि मदन दरोगा निवासी चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा

अपीलाण्टगण

बनाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द, जिला भीलवाडा
रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण
संख्या 287 / 2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.6..2017
अधिवक्तागण :–

1. श्री मुनीर गनी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण / वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की मौरूसी जायदाद मौजा चाडो का खेडा पटवार हल्का रूपपुरा में खाता संख्या 96 के आराजी नम्बर 40, 429, 430, 455, 473, 478, 479, 480, 481, 487, 686, 690, 700, 702 कुल किता 14 कुल रकबा 1.34 है0 लगानी 7 रूपये 48 पैसे से जानी जाती है। वादीगण ने अपने खाते की भूमि की पत्थरगढी करवाई । प्रकरण संख्या 35 / 16 राजस्व सहायक कलक्टर, आसीन्द न्यायालय के आदेश से दिनांक 18.4.2016 को राजस्व अमले व पटवार हल्का रूपपुरा ने मौके पर जाकर उक्त खाते की पत्थरगढी की व मौके पर पर्चा काम किया जिसमें आराजी नम्बर 481 वादीगण के नाम दर्ज है इसमें एक कच्ची सडक ग्रामीण रास्ता निकल रहा है। मौके पर आराजी नम्बर 366 रकबा 0.79 खाता संख्या 01 से जानी जाती है जो रेकार्ड से रास्ता है व खाली पडी हुई है उक्त पर्चा रिपोर्ट के आधार पर वादीगण की जानकारी में आया कि वादीगण के खाते व कब्जे की भूमि में कच्ची मिट्टी डालकर आराजी नम्बर 481 रकबा 0.18 है0 में नाजायज कब्जा कर पंचायत ने ग्रेवल डलवा दी जिसको वादीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हटाने के अधिकारी है। वादी ने वादग्रस्त आराजी में सफाई कराकर फसल काश्त करने की कार्यवाही की तो गांव वालों ने एतराज किया व थाना आसीन्द में इस्तगासा किया जिस पर एस डी एम आसीन्द के न्यायालय द्वारा शान्ति कायमी बोण्ड से खातेदारान को दिनांक 20.10.2016 को पाबन्द किया। अतः बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 आराजी नम्बर 481 रकबा 0.18 है पर से अवैध मिट्टी हटवाई जाने की डिक्री प्रदान की जावे एवं बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 को मौके पर रास्ते की जमीन आराजी नम्बर 366 पर मिट्टी वादीगण के खेत से डलवाई जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद विधिक प्रक्रिया अपनाये तनकियात कायम किये व साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 से कैम्प कोर्ट रूपपुरा तहसील आसीन्द मुकाम पर वाद बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया । अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो पाई । जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया । नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण मे प्रतिवादी का जवाब आये बिनाएवं तनकियात कायम किये बिना एवं बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारितकरने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

7. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किया जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा वाद पत्र 14.12.2016 को पंजिबद्ध किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.1.2017 नियत की गई। दिनांक 12.1.2017 को सम्मन बाद सर्विस प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते जवाब आगामी तारीख पेशी दिनांक 2.2.2017 नियत की गई। दिनांक 2.2.2017 को पेराकार राज द्वारा जवाब का अवसर चाहा गया जो दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.3.2017 नियत की गई। दिनांक 6.3.2017 को पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.4.2017 नियत की गई। दिनांक 24.4.2017 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब हेतु अवसर चाहे जाने से अवसर दिया जाकर प्रकरण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.8.2017 को नियत की गई। दिनांक 14.8.2017 से पूर्व ही पत्रावली को चिन्हित होने से कैम्प रूपपुरा पर तलब की गई एवं आदेशिका में अंकित किया गया कि पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर आया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद में ग्राम पंचायत द्वारा सडक निर्माण करवाया गया जिनको पक्षकार कायम नहीं किया गया। जिससे वादीगण द्वारा चाही गई दादरसी पक्षकार पंचायत को नहीं बनाने से नहीं दी जा सकती । अतः वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। ''

10. अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली के अहकाम दिनांक 24.4.2017 से स्पष्ट होता है कि पत्रावली पेरोकार सरकार की ओर से जवाब दावे में नियत थी। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा रिकोर्ड

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर लिया जाता एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा आने पर तनकियात कायम करते एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित करते परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.6.2017 को पत्रावली चिन्हित की जाकर कैम्प रूपपुरा में तलब की तथा वादीगण को प्रकरण में नियत दिनांक 14.8.2017 से पूर्व पत्रावली तलब किये जाने बाबत कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की अनुपस्थिति में प्रकरण का विवेचन किया है तथा आवश्यक पक्षकार कायम नहीं किया जाना पाया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया है। वादीगण की अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध पारित निर्णय को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता । अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नही आता है। अतः अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 7-11-19 को उपस्थित रहें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा